समक्ष माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर

निगरानी/पन्ना/भू.रा/2017/4060

बालकृष्ण पिता हर प्रसाद ब्राह्मण
निवासी हारी गजरा सडकर तह. अमानगंज
जिला पन्ना (म.प्र.) ....आवेदक

//विरूद्ध//

कृष्णबिहारी पिता गंगा प्रसाद ब्राह्मण,
निवासी हारी गजरा सडकर तह. अमानगंज
जिला पन्ना (म.प्र.) ....अनावेदकगण

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी हिल्स, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582-244808

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म०प्र०भू–राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमाँक 709/अ–5/2015–16 में पारित आदेश दि.13.09.17 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता हैः–

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि विचाराधीन प्रकरण में आवेदक द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार अमानगंज के न्यायालय में वर्ष 2007–08 में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया था कि आराजी क्र. पुराना नंबर 2223, 2224 रकवा क्रमशः 0.105 हे0 0.113 हे0 से नवीन नया नंबर 1969 बनाया जाकर पूर्व रकवा के मुताबिक 0.04 हे0 की कमी की गई है जिसे पूर्ति की जाकर रिकार्ड सुधार कराया जाए। जिसे तहसील न्यायालय में रिकार्ड सुधार बावत् प्र०क्र० 5–अ–5 वर्ष 07–08 में पंजीकृत किया, तैथा म.प्र. शासन भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत धारा 89 के अंर्तगत कार्यवाही करते हुए दिनांक 17.12.08 को विधिवत आदेश पारित करते हुए रा.नि.के प्रतिवेदन जो प्रर्देश "अ" एवं "ब" के मुताबिक रकवा सुधार का आदेश पारित किया गया इसी आदेश के विरूद्ध प्रकरण प्रत्यावर्तित किए जाने पर उसकी अपील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना एक पक्षीय दर्शाते हुए विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया मौके पर विवाद की स्थिति होने पर प्रश्नगत आदेश की जानकारी होने के उपरांत अपील अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसमें धारा–5 अवधि अधिनियम का आवेदन पत्र ग्राहय किए जाने के उपरांत गुणदोषों पर प्रकरण का समुचित परिशीलन किए बिना अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की पुष्टि सरसरीं तौर पर किए जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक / निगरानी / पन्ना / भू.रा. / 2017 / 4060 **जिला** – पन्ना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–11–17	आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क. 709 / अ–5 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है। उन्होंने यह भी पाया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 23.04.2011 द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था, किन्तु आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन तहसीलदार द्वारा नहीं किया गया। उक्त आधार पर उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी का आदेश, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी आधार हीन होने से अग्राह्य की जाती है। 2/ पक्षकार सूचित हों। (हस्ताक्षर) प्रशासकीय सदस्य	